

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 10, शक 1933

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

पी.सी. 3352007-08-मध्यम-इक्कतीस-1002.—मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 37 की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम, 36 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29-78-एम.एल.-39-78-(तीन), दिनांक 31 मार्च, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, शीर्ष "भाग (ग) अन्य प्रयोजनों के लिए" में, अनुक्रमांक 6 एवं 9 के सामने कॉलम (3) की विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश कुमार, उपसचिव.

Bhopal, the 1st December 2011

PC-3352007-08-Medium-XXXI-1002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 37 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931) read with the proviso to Rule 36 of the Madhya Pradesh Irrigation Rules, 1974, the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification No. 29-78-ML-39-78-III, dated, 31st March, 1983 namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, in the heading "part (C) for other purposes" the existing entries in column (3) against serial number 6 and 9 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

UMESH KUMAR, Dy. Secy.

1093